



4th July, 2023

Ref. No.: 102339/S/O/L-1/2023-24

The Manager,
Listing / Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

NSE Code – ASAHIINDIA

BSE Code – 515030

Sub: Publication of Notice w.r.t the transfer of Equity shares and unclaimed dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Sir / Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Companies Act, 2013 (“the Act”) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, please find enclosed herewith copy of Notice to shareholders for claiming unpaid dividend, as published in “Business Standard”, New Delhi and “Veer Arjun”, New Delhi on 4th July, 2023.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,
For Asahi India Glass Limited,

Jay Dattani

For

Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary
Membership No.: F7090

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.

Corporate Office: Unit No. 301-308,
1101-1104, 3rd and 11th Floor, Tower-D,
Global Business Park, M. G. Road,
Gurugram- 122002 Haryana (India)
Tel.: +91 124 4062212-19
Fax: +91 124 4062244, 4062288
website: www.aisglass.com
Corporate Identity Number: L26102DL1984PLC019542

Registered Office: A-2/10, 1st Floor, WHS DDA Marble Market,
Kirti Nagar, New Delhi – 110015

कॉर्ट लगने से बछड़े की मौत, एनपीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

नोएडा (वीअ)। थाना बिसरख क्षेत्र में सेक्टर-3 के बी-ब्लॉक में पिछले हफ्ते कथित तौर पर कॉर्ट लगने से एक बछड़े की मौत हो जाने को लेकर नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीएल) के अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना 29 जून को हुई थी। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे एक गड्ढे में बछड़े ने पैर रख दिया, और उसे कॉर्ट लग गया। उन्होंने बताया कि गड्ढे में बिजली के तार डाले गये थे, और उसमें बारिश का पानी भर गया था, जिस कारण बछड़े को कॉर्ट लगा। सिंह ने बताया कि बीती रात कुछ स्थानीय निवासियों ने घटना के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एनपीसीएल अधिकारियों की लापरवाही के चलते बछड़े की मौत हुई।

बाहरी दिल्ली में ट्रक की टक्कर से आठवीं कक्षा के छात्र की मौत

नई दिल्ली, (वीअ)। बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके में सोमवार को सड़क पार कर रहे सरकारी विद्यालय के आठवीं कक्षा के एक छात्र की कथित तौर पर एक ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि हादसा तब हुआ जब मनीराम विद्यालय से घर लौट रहा था। उन्होंने कहा कि छात्र की मौत पर ही मौत हो गई। बाहरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हादसे के संबंध में नांगलोई थाने में दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पीसीआर से सूचना मिली। सिंह ने कहा कि मौके पर

पहुंची पुलिस को छात्र मृत अवस्था में मिला। उन्होंने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक विशेषज्ञों और एक अन्य टीम ने किया। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए (लापरवाही के कारण हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मंगोलपुरी स्थित एसजीएम अस्पताल भेजा गया है जिसके बाव यह परिवार को सौंप दिया जाएगा।

पूर्वी दिल्ली में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला

नई दिल्ली, (वीअ)। पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार पॉकेट-1 में स्टेशन के समीप अमीचंद चौक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि शव पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं है। पुलिस को फिलहाल मामले में किसी साजिश का संदेह नहीं है। पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि रविवार को मयूर विहार पुलिस थाने को सूचना मिली कि अमीचंद चौक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों और अपराध दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शव अभी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है।

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पाकिस्तानी महिला और उसके चार बच्चों को पकड़ा

नोएडा, (वीअ)। गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी महिला और उसके चार बच्चों को पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि महिला और उसके बच्चों को स्थानीय व्यक्ति सचिन ने आश्रय दिया जिसकी ऑनलाइन पबजी गेम के माध्यम से उससे मुलाकात हुई थी। पुलिस उपायुक्त (ग्रेटर नोएडा) साद मिया खान ने कहा, पाकिस्तानी महिला और स्थानीय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। महिला के चार बच्चे भी पुलिस

हिरासत में हैं। नोएडा पुलिस ने महिला और उसके बच्चों को हरियाणा के पलवल से पकड़ा। अधिकारी ने बताया कि पबजी गेम के माध्यम से पाकिस्तान के रास्ते चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई युवती की उम्र 30 साल से कम है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला का नाम कथित तौर पर सीमा हैदर बताया जा रहा है। फिलहाल महिला से नोएडा पुलिस और गुजरात एजेंसी गहनता से पूछताछ कर रही है। अपर पुलिस उपायुक्त (जोन

तृतीय) अशोक कुमार सिंह ने बताया कि रबपुरा क्षेत्र में स्थित एक परचून की दुकान पर नौकरी करने वाले सचिन की पबजी गेम के माध्यम से पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर से दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा कि महिला नेपाल के रास्ते चार बच्चों के साथ भारत आई तथा प्रेमी सचिन के साथ लगभग डेढ़ माह से ग्रेटर नोएडा में रह रही थी। सचिन की ऑनलाइन पहचान वर्ष 2020 में हुई थी। पुलिस ने बताया कि डेढ़ माह पहले हैदर विमान के जरिये पाकिस्तान से काठमांडू पहुंची और वहां से सड़क मार्ग के जरिये रबपुरा पहुंच गई। सचिन ने कमरा किराये पर लेकर पाकिस्तानी महिला और उसके बच्चों के साथ रह रहा था। पुलिस ने रबपुरा स्थित उसके घर से कुछ सामान अपने कब्जे में लिया है। पुलिस अधिकारी इस बात का भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भारतीय युवक को हनीट्रेप में फंसाकर देश की अहम जानकारी हासिल करने के लिए तो वह भारत नहीं आई है।

गांजे के साथ आरोपियों को क्राइम ब्रांच एनआईटी की टीम ने किया गिरफ्तार

सुनील शर्मा फरीदाबाद। हाइम ब्रांच सेक्टर-56 प्रभारी की टीम ने अवैध नशा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मंगल और सतपाल का नाम शामिल है। दोनों आरोपी संजय कॉलोनी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। आरोपी मंगल को हाइम ब्रांच टीम ने अपने सूत्रों से प्राप्त सूचना से आशियाना फ्लैट से सेक्टर-56 के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गांजा को सतपाल नाम के व्यक्ति से 12000 रूपए में

बेचने के लिए खरीद कर लाया था। आरोपी मजदूरी का काम करता है। आरोपी ने पैसे के लालच में आकर गांजा बेचना चहाता था। आरोपी पर पूर्व में भी शराब तस्करी का मामला दर्ज है। आरोपी से पूछताछ के दौरान आरोपी सतपाल को संजय कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मंगल को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है। आरोपी सतपाल को पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा।



भाजपा नेता शेखर यादव ने विजेता बाक्सरों को किया सम्मानित

राकेश पंवार बहादुरगढ़। भाजपा सरकार में खेलों में रोजगार के सुनहरे अवसर मौजूद हैं इसलिए युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। यह बात भाजपा नेता शेखर यादव ने बतौर मुख्य अतिथि मोहित स्पोर्ट्स एंड बॉक्सिंग एकेडमी में आयोजित लड़कों व लड़कियों की पहली बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ करते हुए कहा। सेक्टर 9 स्थित जिमखाना क्लब में हुई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को भाजपा नेता शेखर यादव ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। आयोजकों ने भाजपा नेता शेखर यादव का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। आयोजक एनआईएस सर्टिफाई कोच मोहित ने बताया कि लड़कों व लड़कियों की पहली बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 12,14,17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चैंपियनशिप में बेस्ट बॉक्सर का खिताब राहुल गुलिया बादली ने जीता तथा बेस्ट चैलेंजिंग का खिताब ध्रुव कुमार बहादुरगढ़ ने जीता। बेस्ट बॉक्सर खिताब विजेता खिलाड़ी को 5100 रुपये



विजेता बाक्सर को मेडल पहनाकर सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा नेता शेखर यादव।

तथा बेस्ट चैलेंजिंग खिताब विजेता खिलाड़ी को 3100 रुपये की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। विजेता बाक्सरों को सम्मानित करते हुए शेखर यादव ने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने 9 वर्ष के कार्यकाल में खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम किया है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हौनहार खिलाड़ियों को नानद इनाम धनराशि, पदक अनुसूचक सरकारी नौकरी व मान सम्मान देने का काम किया है

जिसके चलते युवाओं का रुझान शिक्षा के साथ-साथ खेलों की तरफ भी बढ़ रहा है। भाजपा नेता शेखर यादव ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन करने पर आयोजक एनआईएस सर्टिफाई कोच मोहित को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से छिपी हुई खेल प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं। सुनील कुमार नया गांव, राकेश सैनी, सुरेश कुमार, हिमांशु, राहुल, सोनू, ध्रुव, साहिल कसार, संदीप नांदल, भविष्य राठी आदि ने चैंपियनशिप के सफल संचालन में सहयोग किया।

नोएडा में छात्र की नहर में डूबने से मौत नोएडा, (वीअ)। नोएडा में थाना दादरी क्षेत्र के कोर्ट चौकी के पास नहर में नहाते समय शनिवार की शाम को डूबे एक छात्र का शव कल रविवार की शाम को बरामद किया गया। थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षक सुजीत उपाध्याय ने सोमवार को बताया कि धनुबास गांव का रहने वाला कपिल (18 वर्ष) पुत्र भूप सिंह 11वीं कक्षा का छात्र था और वह अपने कुछ दोस्तों के साथ शनिवार की शाम को नहाने के लिए गंगनहर में आया था। उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट पुल के पास नहर में नहाते समय कपिल भंवर में फंस कर डूब गया।

कन्देरे समाज समिति हरियाणा द्वारा नाहर सिंह पार्क में पंचायत का आयोजन

फरीदाबाद, (वीअ)। बल्लभगढ़ स्थित राजा नाहर सिंह पार्क में कन्देरे समाज समिति हरियाणा द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बालकिशन कन्देरे के साथ पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा फरीदाबाद, गुडगांव, पलवल के जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष नरेंद्र कन्देरे नागर व प्रदेश संगठन मंत्री नंदकिशोर कन्देरे ने अपनी टीम के साथ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर कन्देरे समाज और कन्देरे करन समाज महासभा की संयुक्त पंचायत आयोजित हुई और जिसमें सभी ने स्वीकार किया कि हमारी मूल जाति कन्देरे ही है, इसमें कन्देरे समाज समिति हरियाणा के मुख्य सभी पदाधिकारी शामिल रहे और कन्देरे करन समाज महासभा के मुख्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। सभी की एकमत सहमति बनी है कि हरियाणा राज्य में हमारी मूल जाति कन्देरे के नाम से ही ओबीसी जाति सूची में दर्ज कराएँ और अगर सरकार नहीं सुनती है तो सभी कन्देरे समाज के लोग

एकजुट होकर आगामी चुनावों में मतदाता होने के नाते अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी पसंद की नई सरकार चुनें। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष जयदेव आर्य, शिव कुमार फौजी, देवेन्द्र कुमार पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कन्देरे करन समाज महासभा, शिवराम प्रदेशाध्यक्ष कन्देरे करन समाज महासभा, मनोज, सुरेश, राजेंद्र, नंदराम, परमलाल कन्देरे, ब्रजमोहन कन्देरे, देशराल भागत कन्देरे, जगदीश कन्देरे, त्रैम कन्देरे, रामप्रकाश कन्देरे, जितू कन्देरे, विनामी कन्देरे, अजीत कन्देरे, शिवकुमार कन्देरे, पणू कन्देरे, मानिक चंद कन्देरे, तोताराम कन्देरे, लवली कन्देरे, धर्मवीर कन्देरे, पणू सिंह कन्देरे, राम मुर्ति

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Pritu Raj Civil Judge, (North) Room No. 218, Rohini Courts, Delhi. CS No.-76/2022 Canara Bank(Plaintiff) Versus Shashi Kumar Sharma(Defendant)

To Mr. Shashi Kumar Sharma (Proprietor of Chun Mun Traders), S/o Sh. K.P. Sharma, R/o A-1/7, A Block, Pocket-I, Sector-17, Rohini, New Delhi-110085. Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 25th day of July, 2023 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and the seal of the court, this 08.06.2023. Seal Sd/- Civil Judge-(North) Rohni Courts Delhi

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of Ms. Priyanka Rajpoot, Judge Small Cause Court-Cum-Addl. Senior Civil Judge-Cum-Guardian Judge (N/W), Room No. 309 3rd Floor, Rohini Courts, Delhi. Suit No. CS-1285/2019 Bank of Baroda(Plaintiff) Versus M/s Balaji Footwear and Ors.(Defendant)

To Mr. Naresht Kumar, (Proprietor of M/s Balaji Footwear) R/o A-2/41, Sector-17, Rohini, Delhi. Also At: A-124, Sector-16, Rohini, Delhi-110089. Also At: F-6/261, Third Floor, Sector-16, Rohini, Delhi-110089. Also At: B-7/101, Sector-17, Rohini, Delhi-110089. The Defendant Above Named. Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 01st day of August, 2023 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and the seal of the court, this 08th, day of June, 2023. Seal Sd/- Judge Small Cause Court-Cum-Addl. Senior Civil Judge-Cum-Guardian Judge (N/W), Floor, Rohini Courts, Delhi.

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of Ms. Priyanka Rajpoot, Judge Small Cause Court-Cum-Addl. Senior Civil Judge-Cum-Guardian Judge (N/W), Room No. 309 3rd Floor, Rohini Courts, Delhi. Suit No. CS-1285/2019 Bank of Baroda(Plaintiff) Versus M/s Balaji Footwear and Ors.(Defendant)

To Mr. Naresht Kumar, (Proprietor of M/s Balaji Footwear) R/o A-2/41, Sector-17, Rohini, Delhi. Also At: A-124, Sector-16, Rohini, Delhi-110089. Also At: F-6/261, Third Floor, Sector-16, Rohini, Delhi-110089. Also At: B-7/101, Sector-17, Rohini, Delhi-110089. The Defendant Above Named. Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 01st day of August, 2023 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and the seal of the court, this 08th, day of June, 2023. Seal Sd/- Judge Small Cause Court-Cum-Addl. Senior Civil Judge-Cum-Guardian Judge (N/W), Floor, Rohini Courts, Delhi.

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of Ms. Divya Malhotra, Administrative Civil Judge/ Addl. Rent Controller (North-West) Room No. 216, Second Floor, Rohini Courts, Delhi. CS/998/2020 Canara Bank(Plaintiff) Against Prem Chandler(Defendant)

To Defendant No. 1. Prem Chandler S/o Halkai, R/o H. No. E-163, Juggies Near Slum Land, Dev Nagar, Karol Bagh, Delhi-110005. Mob. No. 6582061044. Defendant No. 2. Surekha Tiwari W/o Gianender Nath Tiwari, 68, Venus Apartment, Inder Enclave, Paschim Vihar, Delhi-110087. Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 19th day of September, 2023 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and the seal of the court, this 17th day of May, 2023. Seal Sd/- Admn. Civil Judge-Cum Arc (N/W) Rohni Courts Delhi.

कांवड़ यात्रा को लेकर उपायुक्त विक्रम सिंह ने ली अधिकारियों की मीटिंग

फरीदाबाद, (वीअ)। श्रावण माह के महेनजर फरीदाबाद में कांवड़ियों की सुविधा के लिए जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ता है। इस दौरान ट्रैफिक को सामान्य बनाए रखने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-2 पर ट्रैफिक व्यवस्था अधिक होती है। बिना परमिशन के कोई शिविर नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय मार्ग पर कोई भी कांवड़ शिविर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने एमसीएफए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के मुख्य मार्गों, जहां से जल लेकर कांवड़ अपने गंतव्य स्थानों तक जाते हैं, उनको उचित मरम्मत और साफ-सफाई सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे कहा कि कांवड़ शिविर में उचित लाइट का प्रबंध, साफ-सफाई, शिविरों को सेनेटाइज्ड तथा सीसीटीवीका भी प्रबंध हो। रात पर खम्बों के रिफ्लेक्टर लगाए। कांवड़ियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए चिकित्सक जमाओ पर एम्बुलेंस कि

व्यवस्था हो। चिकित्सक जगहों पर जहां सड़क में जलभराव होते हो वहां टैंकर खड़े करके ताकि जलभराव को रोका जा सके। उपायुक्त ने संबंधित थाना प्रबंधकों को भी निर्देश दिए कि जहां ट्रैफिक ज्यादा तेज हो वहां बैरिकेटेड लगाए जाएं। कांवड़िए भी अपने साथ गैस सिलेंडर, हॉकी, लाठी, डंडा, बेसबॉल बैट आदि नहीं रख सकेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि आगरा कैनाल और बाईपास रोड से कांवड़ियों का आवागमन ज्यादा होता है, इसलिए संबंधित विभागों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में उस सड़क की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कांवड़ियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में एडीसी अपराजिता, डीसीपी सेंट्रल पूजा वशिष्ठ, एएसडीएम अमित कुमार, तहसीलदार भूमिका लांबा, सीएमओ डॉ विनय गुप्ता, एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार, एसीपी सराय देवेन्द्र सिंह, एसीपी बल्लभगढ़ मुनीश सहगल, रेडॉस सचिव विजेन्द्र सौरात सहित, डीएफओ सुरेंद्र पाल अन्य कई अधिकारीगण मौजूद रहे।

गुर्जर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे जगवीर नागर : ललित नागर

फरीदाबाद, (वीअ)। नीमका के पूर्व सरपंच जगवीर सिंह नागर के गुर्जर सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर समूचे तिगांव क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। यह जिम्मेदारी मिलने पर उनके गांव नीमका में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ललित नागर ने अपने साथियों के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनका मुंह मीठा कराकर उन्हें अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। श्री नागर ने कहा कि जगवीर नागर के गुर्जर सभा के प्रदेशाध्यक्ष बनने से न केवल नीमका बल्कि पूरे चौरासी का नाम गौरवान्वित हुआ है और इस निर्णय से समाज के लोगों में खुशी की लहर है। ललित नागर ने कहा कि जगवीर सिंह एक मिलनसार एवं व्यक्ति के धनी हैं और गुर्जर सभा ने जो जिम्मेवारी इन्हें सौंपी है वह उसे पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाएँ और समाज को एकजुट करने के साथ-साथ उनके हित में कार्य करेंगे।

उल्लेखनीय है कि गांव नीमका के पूर्व सरपंच जगवीर सिंह नागर को गुर्जर सभा हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है, उन्हें तीन सालों के लिए यह जिम्मेवारी दी गई है। करेगा।चेयरमैन सासुदेव अरोड़ा ने कहा कि हम सभी पौधे लाडलियों से उनके नाम से लगवाये ताकि वह बेटियों उन पौधों की देखभाल भी करें जिनको वह अपने हाथों से लगायेगा। उन्होंने कहा जैसे बेटियों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती वैसे ही पेड़-पौधों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते।

लाडली वृक्षारोपण की शुरुआत 9 से

फरीदाबाद, (वीअ)। आज बेटी बचाओ अभियान की मीटिंग सैक्टर 10 कार्यालय में संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक हरीश चन्द्र आज़ाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि बेटी बचाओ अभियान शहर में बेटियों के नाम पौधे लगायेगा। राष्ट्रीय संयोजक हरीश चन्द्र आज़ाद ने कहा कि हम

सावन माह के प्रत्येक रविवार शहर में अलग-अलग जगह वृक्षारोपण को लक्ष्य के तौर पर इस कार्यक्रम को लाडली वृक्षारोपण का नाम दिया गया क्योंकि बेटी बचाओ अभियान के सभी कार्यक्रम लाडलियों के नाम से ही होते हैं। उन्होंने बताया कि लाडली वृक्षारोपण की शुरुआत 9 जुलाई रविवार से सैक्टर 10 और सेक्टर 11 के पार्कों से

असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड
CIN: L26102DL1984PLC019542
पंजीकृत कार्यालय: ए-2/10, प्रथम तल, ७७७एचएस डीडीए मार्बल मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110065, फोन: (011) 45792855, कोर्पोरेट कार्यालय: तीसरा तल, टॉवर-डी, ग्लोबल बिल्डिंग पार्क, नवशैली-गुडगांव रोड, सुरग्राह-122002 (हरियाणा), फोन: (0124) 4062212-19, फैक्स: (0124) 4062244 / 88, E-Mail: investorrelations@aisglass.com क्लैसएड: www.aisglass.com

शेयरधारकों को एवढांचा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों के साथ पंजीकृत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (निसाक) के अंतर्गत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, संयुक्त-संयुक्त प्रशासकीय (निसाक) के अधिनियम में विद्यमान वर्ष 2015-16 के लिए घोषित किया गया अंतिम लामांश जो पिछले अंतरिम सात वर्षों से अवादागत या अप्रदत्त होने के साथ ही ऐसे सांभत शेयर जिनके संबंध में पिछले अंतरिम सात वर्षों के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईडीपीए) को अनिवार्य रूप से अंतरिम किया जाएगा। अधिकृत शेयरधारकों को प्रदान किया जा रहा है। निसाक 2016, सं

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, DELHI
4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001
ON 12/50/2018
UNION BANK OF INDIA
Applicant
VERSUS
HARMIT SINGH
Defendants

ASAHI INDIA GLASS LIMITED
Registered Office: A-2/10, 1st Floor, WHS DDA Marble Market, Kirti Nagar, New Delhi - 110015, Phone: (011) 45792855
Corporate Office: 3rd Floor, Tower-D, Global Business Park, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurgaon - 122 002 (Haryana)
Phone: (0124) 4062212-19, Fax: (0124) 4062244/88
Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)
Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 17.10.2022 calling upon the Borrower(s) VARUN DUTT TYAGI PROPRIETOR AFC HOME SOLUTIONS AND ARUNA TYAGI to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.21,74,411.15 (Rupees Twenty One Lakhs Seventy Four Thousand Four Hundred Eleven And Fifteen Paise Only) as on 12.10.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

Notice is hereby given to the shareholders pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time ("the Rules"), the final dividend declared for the Financial Year 2015-16, which remained unclaimed or unpaid for a consecutive period of seven years as well as the corresponding shares, in respect of which amount(s) of dividend has not been claimed or paid for a consecutive period of seven years shall be mandatorily transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Whereas, The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 28.06.2023.

Form No.14 [See Regulation 33(2)]
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)
1st Floor, SCO 33-34-45 Sector-17A, Chandigarh
(Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)
DEMAND NOTICE
NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961
29-05-2023

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part of Chapter XXI of the Act
[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

Form No.14 [See Regulation 33(2)]
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)
1st Floor, SCO 33-34-45 Sector-17A, Chandigarh
(Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)
DEMAND NOTICE
NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961
29-05-2023

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part of Chapter XXI of the Act
[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part of Chapter XXI of the Act
[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

ELECTRONICA FINANCE LIMITED
Aundhwar, 101/1, Erandwane, Dr. Kerkar Road, Pune 411004, Maharashtra, India
POSSESSION NOTICE (Appendix IV) Rule 8(1)
Whereas the Authorized officer of M/s Electronics Finance Limited, a Non-Banking Financial Institution, under the provision of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) having its Registered Office at Aundhwar, Plot No 101/1, Dr. Kerkar Road, Opp. To Paranjay Builder Office, Erandwane, Pune - 411004 (hereinafter referred to as "EFL") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 21-Apr-2023 and Published on 24-Apr-2023 calling upon:

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)
Head Office: Jana Small Finance Bank Ltd. The Fairway, Ground & First Floor, Survey No- 10/1, 11/2 & 12/2B, Off Dowlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071.
PUBLIC NOTICE FOR AUCTION OF GOLD ORNAMENTS
The below mentioned borrowers have failed to repay the loan and redeem the gold ornaments within the stipulated time in spite of several reminders. The Gold Jewellery/ ornaments pledged under the said loan accounts by the below listed borrowers will be sold in Public/ Online/ private auction at our Branch premises on 08-07-2023 at 10.30 AM.

Indian Bank
Branch: - Basant Vihar, Bhiwara
SALE NOTICE (E-AUCTION)
E-Auction Sale Notice to General Public for sale of Immovable Property Under SARFAESI Act 2002 with proviso to Rule 6(2) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on "As is where is Basis, As is what is Basis, whatever there is Basis"

Punjab National Bank
POSSESSION NOTICE
[Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002]
Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstructions of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The Bank issued demand notices on the date mentioned against account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notice.

Table with 4 columns: Name of the Borrower & Guarantor Branch Office, Description of Immovable Property, Amt. o/s (as mentioned in the Notice u/s (132)), Date of Demand Notice. Includes details for Borrower Firm- M/s ABRS Engineering India Pvt. Ltd.

SBI
पुस्तक आसित केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर राजस्थान 342006 भारत
Retail Assets Central Processing Center (RACPC), Branch Code 10303 Collectorate Compound, Near Pooja Circle, Jaipur (Rajasthan) 342006 India.
Toll: (0) 0291-2540041, 2556550, 2556549 Fax: (0) 0291-2551297/E-Mail: sbi.10303@sbi.co.in
आम सूचना
इस आम व खास को सूचित किया जाते हैं कि, भारतीय स्टेट बैंक, आरपीवीसी, जयपुर में ऋण के ऋण में निम्नलिखित तालिका में बतौर व्यक्तियों की अचल संपत्ति से सम्बन्धित मूल दस्तावेजों का लेनीटेंड है।